जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार को जमानत

गलत रास्ते से सही मंजिल पहुंचने का सफ़र

दिल्ली (अजातशत्रु) उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिभा रानी द्वारा जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष को जमानत दिया जाना वैसे तो एक साधारण सा फ़ैसला लगता है लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में यह अपनी तुगलकी बातों के लिये हमेशा याद किया जायेगा। यहां तक कि न्यायालय की अवमानना का ख़तरा उठाते हुये भी टाइम्स ऑफ़ इंडिया जैसे अखबार में अर्ध्य सेनगुप्ता ने इसकी कड़ी आलोचना की है।

न्यायाधीश प्रतिभा रानी ने दस दिन तक सुनवाई करने के पश्चात ना सिर्फ़ निर्णय सुरक्षित रखा बल्कि जिस दिन सुनाया भी तो देर शाम ऐसे वक्त कि कन्हैया की रिहाई उस दिन संभव ना हो। जमानत के मामले में आमतौर पर एक या दो दिन में दोनों पक्षों के तर्क सुनकर जज अपना फ़ैसला सुना देता है। लेकिन यहां पर ना सिर्फ़ अनावश्यक रूप से दिल्ली पुलिस की मांग पर सुनवाई स्थगित की जाती रही बल्कि फ़ैसला सुरक्षित रखने और देर शाम सुनाने जैसी तरकीबों से आरोपी छात्र को तीन दिन और जेल में गुजारने पड़े।

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जस्टिस प्रतिभा रानी ने अपने फ़ैसले में उन सभी तर्कों और कारणों को बताने से परहेज किया जिनके कारण उन्होंने कन्हैया

को जमानत देने का निर्णय किया। हालांकि बेल देने का निर्णय पूरी तरह से हमारे यहां जज के व्यक्तिगत विवेक पर छोड़ दिया गया है लेकिन जज इस अलिखित सिद्धान्त का पालन करते हैं कि 'बेल ना कि जेल'। जमानत याचिका की सुनवाई करते व जज मुख्य रूप से इस बात पर विचार करते हैं कि अपराध कितना गंभीर है और सबूत कितने पुख्ता नज़र आते हैं, कहीं आरोपी बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को तोड़ने, डराने धमकाने की स्थिति में तो नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि जज प्रतिभा रानी ने कन्हैया को जमानत देने का आधार इनकी बजाय यह बनाया कि उसको मुख्यधारा में आने/रहने का मौका दिया जाये। शायद इन कारणों पर विचार करने में खतरा यह था कि कहीं फ़िर तर्कों की रेल कन्हैया को यहीं पर आरोपों से बरी करने की तरफ़ ना चली जाये। इसलिये उन्होंने अपने निर्णय में (थोथी!) देशभक्ति का उल्लेख करने पर ज़्यादा जोर दिया।

जज प्रतिभा रानी ने अपने निर्णय की शुरूआत ही एक गीत मेरा रंग दे बसन्ती चोला-रंग लाल है लाल बहादुर से की। (यह गीत गुलशन बावरा का है हालांकि उन्होंने इसे इन्दीवर का लिखा है।) उन्होंने लिखा कि देशभक्ति का कोई एक रंग नहीं होता। उन्होंने बीच में यह भी लिखा कि देशद्रोह के नारे लगाने वालों को यह पता होना चाहिये कि वो यहां इसलिये सुरक्षित खड़े ये नारे लगा रहे हैं कि हमारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी सीमाओं को सुरक्षित रखे हुये हैं। इन उल्लेखों से यही स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीयता की भावनाओं से जज कितनी ज्यादा प्रभावित हैं। यही बात अफ़जल गुरू के केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहते दिखाई देते हैं कि राष्ट्रीय भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। यह न्यायालय के निर्णयों के तर्कों, तथ्यों, सबूतों के बजाय राष्ट्रीय भावनाओं से प्रभावित होने के खतरे की ओर संकेत करता है।

जज ने अपने निर्णय में जमानत के लिये यह भी शर्त रखी कि वह (कन्हैया) राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते सभी छात्रों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग लेने से रोकने की जिम्मेदारी उसकी होगी। जज के इस तर्क के आधार पर तो पटियाला हाऊस के वकीलों द्वारा कन्हैया की मारपीट के लिये भी सीधे-सीधे उन्हीं के द्वारा चुने गये वकीलों के संघ के अध्यक्ष हैं। तो क्यों ना बार एसोशियेसन के अध्यक्ष पर कन्हैया पर हमले का मुकदमा चलाया जाये।

हालांकि कन्हैया की जमानत स्वागत योग्य कदम है लेकिन जज द्वारा लिखा निर्णय गंभीर सवाल खड़े करता है। इसमें तर्कों और तथ्यों तथा अपराध की गंभीरता के बजाय भावनाओं को निर्णय का आधार बनाया गया है। निर्णय यह भी मानकर चलता है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाये गये जबकि दिल्ली पुलिस इस बारे में किसी विडियो या आडियो सबूत से इन्कार कर चुकी है। और इस सबके बावजूद सिर्फ़ छः महीने के लिये जमानत देने का न कोई कानूनी आधार है न कोई उदाहरण और ना ही कोई कारण।

इस तरह के तर्क-विहीन, तुगलकीफ़ैसलों से न्यायपालिका की साख तो घटेगी ही, उनके किसी तरह की जवाबदेही न होने की तरफ़ भी लोगों का ध्यान जायेगा। और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आने का ख़तरा बढ़ेगा। इसके लिये जजों को स्वयं ही न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये कदम उठाने होंगे।

राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह

यह सम्भवत: पहली बार है कि लोगों की देशभक्ति का मुद्दा बहुत जोड़-शोर से उठ गया है। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि कुछ खास समुदाय और विचारधारा के लोगों को देशद्रोही तथा खुद को परम देश-भक्त साबित करने की मुहिम में लगे हैं। देखने में यह आ रहा है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद राष्ट्रवादी और राष्ट्रविरोधी शब्दों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। यह भी गौर करने वाली बात है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र विरोध मुसलमानों और पाकिस्तान के सन्दर्भ में देखा जाने लगा है। इससे अलग राष्ट्रवाद की कोई और पहचान नहीं रही। नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार के दूसरे संगठन, यहां तक कि केन्द्र सरकार के मंत्री तक अपने विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे।

सत्ता पक्ष के लिये राष्ट्रवाद की सीमा पाकिस्तान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद की शुरुआत पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर ही खत्म हो जाती है और इसकी जद में अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर सत्ता पक्ष का हर विरोधी आ जाता है। देखा जाये, तो भारत में जब अंग्रेजों से आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो हिन्दू महासभा और आगे चलकर आरएसएस ने मुसलमानों और कम्युनिस्टों को अपना मुख्य दुश्मन माना था। इस संदर्भ में आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गुरू गोल्बरकर का कथन ''हिन्दुओं, ब्रिटिश से लड़ने में अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अपनी ताकत हमारे भीतरी दुश्मनों यानि मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों से लड़ने के लिये बचाकर रखो,''

गौरतलब है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस ने कोई राष्ट्रवादी भूमिका नहीं निभाई। इनका राष्ट्रवाद हिन्दू राष्ट्रवाद था। राष्ट्र विभाजन में मुस्लिम लीग के साथ आरएसएस की भी प्रमुख भूमिका रही। इन दोनों को अपने इशारे पर नचाने वाले अंग्रेज शासक थे जिनके खिलाफ़ कांग्रेस के नेतृत्व में बड़े-बड़े आन्दोलन हो रहे थे। क्रान्तिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ़ अभियान छेड़ रखा था। किसानों और मज़दूरों के आन्दोलन हो रहे थे। किन्तु हिन्दू राष्ट्रवाद के साथ ही अलग मुस्लिम राष्ट्र को अपना आदर्श मानने वाले अंग्रेजों के मोहरे बनकर उनका हित साध रहे थे और देश को साम्प्रदायिक दंगों में झोंक रहे थे। इन्हीं विभाजनकारी ताकतों के सहारे अंग्रेज देश के टुकड़े करने की साजिश में सफ़ल रहे। पाकिस्तान बनने के बाद इन ताकतों ने बड़े पैमाने पर दंगे और विनाशकारी काम किये। वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ़ राष्ट्रीय मुक्ति का जो आन्दोलन चलाया जा रहा था, उसे तोड़ने और उसकी दिशा मोड़ने का काम धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ने वाली ये ताकतें कर रही थीं। उदाहरण के लिये 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान, हिन्दू राष्ट्रवादी अंग्रेजों के समर्थन में खड़े थे। इन्होंने अंग्रेजों की 'टू नेशन्स थ्योरी' को उसके अंजाम तक पहुंचाया।

आज ये हिन्दूवादी ताकतें सत्ता में हैं और इनका राष्ट्रबाद अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा और नकली पाकिस्तान विरोध पर खत्म हो जाता है। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर असफ़ल साबित हुई है। वैसे भी यह महज 31 फ़ीसदी मतों के सहारे आई है। इस सरकार को सत्ता में आये अभी दो साल भी नहीं बीते हैं, लेकिन जनता का अविश्वास इसके प्रति लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले भी कुछ राज्यों के चुनावों में भाजपा को झटका लग चुका है। आगे भी राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति होनी तय है। यह देखकर संघ के रणनीतिकार बौखला गये हैं और सरकार अथवा संघ की विचारधारा के विरोधी लोगों पर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप लगा उन पर मुकदमे तक चला रही है। जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया की राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ़्तारी और अन्तरिम जमानत पर अदालत द्वारा नसीहत देकर छोड़ा जाना यही दिखलाता है। इसका पूरे देश में जो विरोध हुआ है, उससे जाहिर है कि देश की जनता आरएसएस के संकीर्ण अल्पसंख्यक-विरोध और नकली पाकिस्तान विरोध को राष्ट्रवाद मानने के लिये तैयार नहीं है। जनता के लिये राष्ट्रवाद क्या है, इसे समझना जरूरी है। सत्ता पक्ष जिस विचारधारा से संचालित है और जिस तरह से संघ सिर्फ़ चन्द पूंजीपतियों और अपने विदेशी मालिकों के हित में काम कर रही है, उससे आम लोगों पर चौतरफ़ा संकट बढ़ता चला जा रहा है। सरकार का विरोध भी लगातार तेज़ हो रहा है। अब सवाल है, सरकार किसे-किसे देशद्रोही घोषित करेगी?

-दिव्यांग

सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का!

सरकारी संत डबल श्री की यमुना पर दबंगई!

सरकारी संत डबल श्री रविशंकर ने अपना रूतबा दिखाते हुये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को उसकी औकात दिखा दी। डबल श्री यमुना किनारे एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते थे। इसके लिये डी.डी.ए. और दिल्ली पर्यावरण कमेटी से तो इन्होंने हड़का कर इजाजत ले ली थी। लेकिन 'यमुना जीये' अभियान वालों और अन्यों ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (यानि एन.जी.टी.) में शिकायत कर दी। एन.जी.टी. ने एक्सपर्टस की एक कमेटी बैठाई जिसने रिपोर्ट दी कि तीन दिन चलने वाले डबल श्री के अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव से यमुना के पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचेगा। हालांकि रुपयों में इसकी भरपाई मुश्किल है लेकिन फ़िर भी आंकलन के लिये ये नुकसान 120 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। इस रिपोर्ट के मद्देनज़र एन.जी.टी.ने डी.डी.ए. पर पांच लाख रुपया और दिल्ली पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी को एक लाख रुपया का जुर्माना उनके निकम्मेपन के लिये लगाया। हालांकि इन अफ़सरों ने जो किया वो अपने निकम्मेपन के चलते कम और मोदी का हुक्म बजाने के वास्ते ज्यादा किया। इसलिये अगर कोर्ट ये जुर्माना इस विभागों के जिम्मेबार अफ़सरों की तनखा से काटने के आदेश देती तो शायद भविष्य में ये अपने आकाओं के गैरकानूनी आदेश मानने से कतराते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

दूसरी तरफ़ एन.जी.टी. ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इस आयोजन को तुरन्त रद्द करने के आदेश देने के बजाये पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भरने पर इसको होने देने के आदेश दिये। लेकिन डबल श्री ने तुरन्त ही जुर्माना भरने से साफ़ इन्कार करते हुये कहा कि उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया है जो वे जुर्माना भरें। और ठीक भी है, जिस आयोजन में नरेन्द्र मोदी जैसा दबंग उद्घाटन करने आ रहा हो उसको किसी से डरने की क्या जरूरत? और अगले दिन के घटनाक्रम ने दिखा दिया कि उनकी हेकड़ी ठीक भी थी।

अगले दिन यानि शुक्रवार 11 मार्च 2016 को, जिस दिन 4 बजे तक जुर्माना न भरने पर एन.जी.टी. ने ये कार्यक्रम रद्द करने की धमकी दी थी, कोर्ट ने वकीलों से डबल श्री के बयान

छी छी का कोतवाल

पर हैरानी जताते हुये उनसे इसके बारे में पूछा। इस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने तो ये कहा है कि इतनी बड़ी रकम भरने के लिये उन्हें कुछ समय दिया जाये। इस पर न्यायधीशों ने जो, टी.वी. पर डबल श्री के बयानों की हकीकत देख चुके होंगे, अपनी इज्जत बचाते हुये उन्हें 25 लाख रुपये भरने के बदले में कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी। बाकी किस्तें तीन हफ़्ते में आती रहेंगी और नहीं भी आयी तो कौनसा एन.जी.टी. की औकात डबल श्री को जेल भेजने की है। फ़िर कोई और बहाना सोचकर बाकी रकम को भी माफ़ कर दिया जायेगा। वैसे हाल फ़िलहाल तो बाकी पैसे न भरने पर केन्द्र सरकार से मिलने वाले ढ़ाई करोड़ रुपये जब्त कर लेने भर की धमकी दी गई है। यानी पैसा घुमा फ़िरा के हमारे से ही वसूला जायेगा। डबल श्री को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं! जैसे विजय माल्या को ससम्मान विदा किया वैसे ही सरकारी सन्त डबल श्री भी पर्यावरण को अतुलनीय नुकसान पहुंचा कर, विश्व में भरतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने का दावा करके विदा हो जायेंगे।

ध्यान रहे कि यह डबल श्री वही महोदय हैं जिन्होंने एक बार बयान दिया था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नक्सली बनते हैं। यानी उनकी हालात सुधारना तो दूर इन स्कूलों को बन्द करने का बहाना और दे दिया। और दे भी क्यों न, इन महाशय के भक्तों में कोई गरीब मज़दूर किसान तो है नहीं।

एक तरफ़ तो यह दावा किया जाता है कि संस्था के पास पांच करोड़ रुपये जितनी बड़ी रकम भरने को नहीं है और दूसरी तरफ़ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपये फूंकने को है। दूसरा सवाल उन देशभक्तों से है जो ज़रा-ज़रा सी बात पर फ़ौज़ का मनोबल कम होने का बहाना बनाते हैं उनको फ़ौज का मनोबल तब कम होता नहीं दिखा जब डबल श्री के 'सांस्कृतिक' दिखावे के लिये यमुना पर पुल बनाने को फ़ौज से मजूरी करवाई गई! देश भक्ति और संस्कृति के नाम पर सभी मजलूमों के अधिकारों की उठती आवाज़ को दबाने की साजिश को सभी न्यायप्रिय और संवेदनशील लोगों को समझना होगा।

-अजातशत्रु